



दिनांक: 21.01.2026

- प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, पुलिस द्वारा 03 अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 10 मोटरसाईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2026 को वादी श्री गौरव पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम कम्हेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की मोटरसाईकिल नकुड रोड से चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-039/26 धारा 303(2) बी0एन0एस0 तथा दिनांक 18.01.2026 को वादी श्री अरविंद शर्मा पुत्र मोहन शर्मा निवासी ग्राम कम्हेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की मोटरसाईकिल विद्यार्थी तिराहा से चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 044/26 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त वाहन चोरी की घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. आकाश पुत्र रमेश निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2. कय्यूम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 3. हसनैन पुत्र इरशाद उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को चोरी की 02 मोटरसाईकिल सहित बुड्ढाखेडा तिराहे के पास से साथ गिरफ्तार किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशानदेही से चोरी की 08 मोटरसाईकिल बरामद की गई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-47/26 धारा 317(2)/317(5)/348/303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी लोग काफी समय से हरियाणा राज्य, उत्तराखण्ड राज्य व हिमाचल प्रदेश राज्य व आस- पास के जिलो से मोटरसाईकिल चोरी करते हैं और मोटर साईकिलो को राह चलते व्यक्ति को सस्ते दामो में बेच देते हैं और जो पैसा बेचने से मिलता है उसे हम सभी लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। इन पैसों से हम अपने अपने शौक पूरा करते हैं। हम सभी नशा करते हैं। इन मोटर साईकिलो को भी बेचने की फिराक में हम गंगोह आ रहे थे। तभी पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. आकाश पुत्र रमेश निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. कय्यूम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हसनैन पुत्र इरशाद उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

बरामदगी का विवरण-

1. रजि० नम्बर UP 11 CK 9486 सम्बन्धित मु०अ०सं०- 039/26 धारा 303/(2) बी०एन०एस० थाना गंगोह
2. रजि० नं० UP 11 AH 3144 सम्बन्धित मु०अ०स०- 044/26 धारा 303(2) बी०एन०एस० थाना गंगोह
3. रजि० नं० HP 17 C 4467 सम्बन्धित मु०अ०स०- 273/19 धारा 379/201 भादवि थाना पोटा साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश
4. रजि० नं० HR 75 D 9767 सम्बन्धित मु०अ०स०- 327/25 धारा 305 बीएनएस थाना पीपी सेक्टर 09 करनाल हरियाणा
5. मोटरसाईकिल हीरो स्पलैण्डर चैसिस नं० 0MBLHA10E189109 इंजन नम्बर HA10EA89L23461
6. मोटरसाईकिल हीरो स्पलैण्डर चैसिस नम्बर MBLHA10EZB9L02072
7. मोटर साईकिल सुपर स्पलैण्डर चैसिस नं० 0MBLHA05EEAPC082
8. मोटरसाईकिल सीटी 100 रजि० नं० HR 02 AG 9368 चैसिस नम्बर MD2A18AZFPC24217 व इ०नं०- DUZPFC24669
9. मोटरसाईकिल हीरो स्पलैण्डर चैसिस नम्बर MBLHA10AMEHD55947 व इ०नं०- HA10EJEHD35663
10. मोटरसाईकिल स्पलैण्डर चैसिस नम्बर MBLHA10EJ8GD07510 रजि० नं० UK 07 5891

अभियुक्त आकाश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

- (1) मु०अ०सं०- 150/20 धारा 188/269 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (2) मु०अ०सं०- 665/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (3) मु०अ०सं०- 549/21 धारा 414 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (4) मु०अ०सं०- 133/23 धारा 379/411 चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- (5) मु०अ०सं०- 475/21 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- (6) मु०अ०सं०- 67/22 धारा 63 उत्तर प्रदेश आबकारी अधि० थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- (7) मु०अ०सं०- 68/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- (8) मु०अ०सं०-394/24 धारा 303(2) बी०एन०एस० थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- (9) मु०अ०सं०-455/24 धारा 303(2)/317(2) बी०एन०एस० चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (10) मु०अ०सं०- 456/24 धारा (2)336/(4)318/(5)317/(2)317 बी०एन०एस० चालानी थाना गंगोह सहारनपुर

अभियुक्त कय्यूम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1) मु०अ०सं०-787/17 धारा 25/26 किशोर न्याय बालको की देखरेख संरक्षण अधि० थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- (2) मु०अ०सं०-417/14 धारा 323/324/452/504/506 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री आदित्य कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

2. है0का0 1013 राहुल कुमार थाना गंगोह सहारनपुर
3. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 611 रविश कुमार राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है0का0 376 सचिन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. है0का0 1330 प्रविन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. कां0 326 रिकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. कां0 126 सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा **वारण्टी अभियुक्त** को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.01.2026 को वारन्टी अभियुक्त **मुकर्रम पुत्र पीरू ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 15743/24 धारा 379/411आईपीसी, 26 वन अधिनियम** को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुकर्रम पुत्र पीरू ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1273 सन्दीप थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. का0 2112 मनोज थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



दिनांक- 21.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.01.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त **राजकुमार पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम सीकरी कलाँ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0सं0 264/18 वाद सं0-1437/18 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर नियत तिथि 25.02.26 को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राजकुमार पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम सीकरी कलाँ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 843 विवेक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. म0है0का0 174 राखी शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 2550 प्रदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 21.01.2026



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12.68 ग्राम स्मैक तथा 9.14 ग्राम कट बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर **मुदरिसर उर्फ आजम पुत्र महबूब निवासी ग्राम पैरागपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को होजखेडी पुल ईंट के भट्टे से पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12.68 ग्राम स्मैक तथा 9.14 ग्राम कट बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 35/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। तथा **अभियुक्त मुदरिसर उर्फ आजम थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 361/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट का वांछित अभियुक्त भी है।** अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मुदरिसर उर्फ आजम पुत्र महबूब निवासी ग्राम पैरागपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 12.68 ग्राम स्मैक
- 9.14 ग्राम कट बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 445/19 धारा 323,324,452,504,506 आईपीसी थाना चिलकाना, सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 284/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 37/24 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट थाना देवबन्द, सहारनपुर।

4. मु0अ0सं0 332/25 धारा 351(3) ,64(1) बीएनएस थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 50/20 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0 361/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 भुपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1806 योगेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 21.01.2026

थाना सरसावा पुलिस द्वारा नकबजनी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 रेहड़ा, 02 गाटर 01 ग्राइन्डर 01 हथौड़ा, 01 बोल्ट खोलने वाली चाबी व 01 सब्बल बरामद

घटनाओं का विवरण:-

1. दिनांक 19.01.2026 को वादी श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री बाबूचन्द निवासी ग्राम अहमदपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की प्लाट की चहरदीवारी पीछे से तोड़कर अन्दर रखे 30 बरंगे, एक रेहड़ा, कुर्सी मेज चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 24/2026 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

2. दिनांक 19.01.2026 को वादी श्री अमित सैनी पुत्र रमेश सैनी निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान का शटर उखाड़कर एक वैल्विंग लीड, ग्रैन्डर, पान्ने चाबी हथौड़ा आदि व नजदीक में ही वादी के दोस्त अरुणपाल की डेरी का भी शटर तोड़कर 30 हजार रुपये नगद, देशी घी 30 किलो0, इन्वर्टर बैटरी को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 25/2026 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.01.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त दोनों चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण **अभियुक्तगण 1- तनवीर पुत्र मुस्तकीम नि0 ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 2- सादीन पुत्र शब्बीर नि0 ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को सरसावा नकुड रोड से ग्राम इब्राहिमी की ओर जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से उपरोक्त मुकदमों से संबंधित चोरी गये 01 रेहड़ा साइकिल कम्पनी नीलम रंग काला, दो 02 गाटर लोहा, 01 ग्राइन्डर रंग पीला, 01 हथौड़ा लोहा, 01 बोल्ट खोलने वाली चाबी लोहा, 01 सब्बल लोहा (घटना में प्रयुक्त) बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम कम पढ़े लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम लोग नशा करने के आदि हैं। हम अपनी नशे की जरूरतों की पूर्ति करने के कम समय में अधिक रुपये कमाने के लिये अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी करते हैं और फिर चोरी किये गये सामान को सस्ते दामों में बेच देते हैं, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। हम दोनों ने मिलकर कस्बा सरसावा में 02 जगह से चोरी की थी, जिसे हम दोनों आज रात्रि में बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने हम दोनों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. तनवीर पुत्र मुस्तकीम नि0 ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
2. सादीन पुत्र शब्बीर नि0 ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 रेहडा साईकिल कम्पनी नीलम रंग काला
- 02 गाटर लोहा
- 01 ग्राइन्डर रंग पीला
- 01 हथौडा लोहा
- 01 बोल्ट खोलने वाली चाबी लोहा
- 01 सब्बल लोहा (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त तनवीर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 24/26 धारा 305ए,331(4),317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 24/26 धारा 305ए,331(4),317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर ।

अभियुक्त सादीन का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 24/26 धारा 305ए,331(4),317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 24/26 धारा 305ए,331(4),317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 133/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. उ0नि0 गौरव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 देवकरण शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 661 सम्राट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 1194 लखन सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 384 अनित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।



दिनांक- 21.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा (रनैचिंग) झपटमारी के मुकदमें में वांछित 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.06.2025 को वादी सतवीर पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम तल्हैडी बुजुर्ग थाना देवबन्द सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की पत्नी संयोगिता व वादी की माता शिमला देवी व जन्नती पत्नी रिजवान निवासी उपरोक्त के एक-एक कान के कुन्डल झपट्टा मारकर खींच कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0-0344/2025 धारा 331(4)/304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए गये। जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये **अभियुक्त शाबिर पुत्र जाबिर नि0 मौ0 गुज्जरवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को मंगलौर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। **प्रकरण से सम्बन्धित एक अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।** अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाबिर पुत्र जाबिर नि0 मौ0 गुज्जरवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त क आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 517/22 धारा 379/411 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार राणा थाना देवबन्द सहारनपुर।
2. है0का0 1209 रविन्द्र थाना देवबन्द सहारनपुर।
3. है0का0 332 श्रवण कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 21.01.2026

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा जीएसटी फ्रॉड करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.10.2025 को वादी श्री राजीव सिंह उपायुक्त राज्य कर खण्ड-2 जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दीपक पुत्र दासीराम निवासी पाडली खुशहालपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर द्वारा अपनी फर्म के माध्यम से अन्य फर्मों से दुरभि संधि करके बोगस क्लेम करके वित्तीय वर्ष 2109-20 में सरकार को 86,48,622/- रु0 की क्षति पहुंचाने के संबंध में तहरीर दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 275/25 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.01.2026 को अभियुक्त **दीपक कुमार पुत्र दासीराम निवासी ग्राम पाडली खुशहालपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दीपक कुमार से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त दीपक कुमार द्वारा बताया गया कि मेरे पैन कार्ड व अन्य प्रपत्र लेकर राजेश सुनेजा पुत्र लोकनाथ सुनेजा निवासी पुरानी चुंगी थाना को0नगर जिला सहारनपुर द्वारा फर्म खोली गयी थी, जिसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। विवेचना के आधार पर अभियुक्त राजेश सुनेजा उपरोक्त को प्रकाश में लाया गया तथा **अभियुक्त राजेश सुनेजा निवासी पुरानी चुंगी थाना को0नगर जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से फर्जी कागजात बरामद किये गये एवं मुकदमा उपरोक्त में धारा 460/468/471/120बी भादवि की वृद्धि की गयी। अतः मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 420/467/468/471/120बी भादवि में की जायेगी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. दीपक कुमार पुत्र दासीराम निवासी ग्राम पाडली खुशहालपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर ।
2. राजेश सुनेजा पुत्र लोकनाथ सुनेजा निवासी पुरानी चुंगी थाना को0नगर जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. निरी0 श्री लाल सिंह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा, थाना जनकपुरी सहारनपुर ।
3. है0कां0 218 अय्यूब अली थाना जनकपुरी सहारनपुर ।
4. है0कां0 663 बालेन्द्र, थाना जनकपुरी सहारनपुर ।
5. कां0 1766 मोहन, थाना जनकपुरी सहारनपुर ।



दिनांक: 21.01.2026

-प्रेस नोट-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर.सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रु० के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 27.03.2019 को वादी उप निरी० श्री रईस अहमद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त इकराम उर्फ सोनू पुत्र अख्तर मलिक नि० मंसूर कालौनी निकट मस्जिद अक्शा को०मण्डी सहारपुर के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद होने की सूचना पर मु०अ०स०-264/2019 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं०-844/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **21.01.2026** को इकराम उर्फ सोनू पुत्र अख्तर मलिक निवासी मंसूर कॉलोनी निकट मस्जिद अक्शा कोतवाली मण्डी सहारनपुर को थाना मण्डी पर पंजीकृत मु०अ०स०-264/2019 में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता - ए०डी०जी०सी० श्री अमित त्यागी
विवेचक- उप निरी० श्री रामस्नेही
पैरोकार म०है०का० 78- संगीता थाना मण्डी सहारनपुर।